न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 122 / 2023

शीर्षक

1. अरबाज खान पुत्र निसार खान जाति मुसलमान निवासी रणवीर सिंह कॉलोनी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. अयूब खां पुत्र अलादीन खां
2. इसाक पुत्र अल्लादीन खां
3. मोहम्मद जैद पुत्र जावेद खान, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका दादी जेबुनी पत्नी स्व0 यासीन खां उर्फ यामीन खान
4. मजीद खां पुत्र अलादीन खां
5. मोबीन बानो पत्नी हनीफ खां
6. शब्बीर खां पुत्र अलादीन खां
7. सरदार खां पुत्र अलादीन खां

   समस्त जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला तोपचीवाडा मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

8. उपपंजीयक शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955</u>

निर्णय दिनांक 15/3/2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 नं0 5402/0.3500, 5415/0.4100 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी मे वादी का 19/56 तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 लगा0 8 के नाम जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 290 में दर्ज अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है। खातेदार जाविद खां पुत्र यासीन खां फौत हो चुका है जिसके एक पुत्र मोहम्मद जैद है एवं जावेद की पत्नी खुशनुमा खान ने दुसरा निकाह कर लिया है इस कारण जावेद की पत्नी खुशनुमा के जावेद की संपति में समस्त हक अधिकार समाप्त हो चुके है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का कोई वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है व अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी अधिकार के वादीगण को उसके उपरोक्त हिस्से से जबरन बेदखल करना व स्वयं जबरन कब्जा कर बिना कानूनी बंटवारा विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करना व बिना बंटवारा भूमि को विक्रय करना चाहते है। यह कि 10–15 दिन पूर्व प्रतिवादी सं0 01 लगायत 07 अपने परिवार सहित उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे तो वादी ने

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया और कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा कराये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट भू भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे। वादी को प्रतिवादी सं0 01 लगा0 07 के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त विवादित भूमि का सरस नरस के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करावे। यह कि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गये और उन्होने बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा को अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान कर यहां अन्तरणडीड पंजीबद्ध करवाकर वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपने हक अधिकार की आराजी से जबरन महरूम होना पडेगा और वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नही हो सकेगा और वादीगण को अनेको मुकदमें में फंसना पडेगा। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी पैदा करने लग गये है इस कारण वादी का उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के साथ सामूहिक काश्त करना संभव नही रहा है। उक्त विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल ख0 नं0 5402/0.3500, 5415/0.4100 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का विधिवत तकास्मा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सरस नरस के आधार पर किया जाकर राज लगान अलग अलग कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नही करे तथा वादी के हिस्से की भूमि में जबरन रास्ता नही निकाले एवं आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 07 की ओर से अधिवक्ता सलमान खान उपस्थित। वकील उभयपक्ष ने प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर खातेदारान ने बंटवारे करने के संबंध में सहमति प्रदान की। वकील उभयपक्ष की सहमति होने से दिनांक 31.01.2023 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक भू.अ./2024/797 दिनांक 09.02.2024 को प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण ने बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुये दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं होने से यह जाहिर है कि पक्षकारान बंटवारा रिपोर्ट से सहमत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 5402/0.3500, 5415/0.4100 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1. अरबाज खान पुत्र निसारखान हि0 2578/2940, शब्बीरखां पुत्र अलादीनखां हि0 362/2940 जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 5402/1 रकबा 0.1440 है0 , 5415/1 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2940 है0 भूमि रहेगी।

2. अयूबखां, इशाखखां, मजीदखां, सरदारखां पुत्रान अलादीन खां, मोबिनबानो पत्नी हनीफ खां हि0 बराबर जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 5402/2 रकबा 0.0850 है0 , 5415/2 रकबा 0.0960 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1810 है0 भूमि रहेगी।

3. शब्बीरखां पुत्र अलादीनखां हि0 2533/2850, जाविद खां पुत्र यासीनखां हि0 317/2850 जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 5402/3 रकबा 0.1250 है0 , 5415/3 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2850 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/3/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 122/2023

शीर्षक

1. अरबाज खान पुत्र निसार खान जाति मुसलमान निवासी रावधीर सिंह कॉलोनी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. अयूब खां पुत्र अलादीन खां
2. इसाक पुत्र अल्लादीन खां
3. मोहम्मद जैद पुत्र जावेद खान, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका दादी जेबुनी पत्नी स्व0 यासीन खां उर्फ यामीन खान
4. मजीद खां पुत्र अलादीन खां
5. मोबीन बानो पत्नी हनीफ खां
6. शब्बीर खां पुत्र अलादीन खां
7. सरदार खां पुत्र अलादीन खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला तोपचीवाडा मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

8. उपपंजीयक शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 15/3/2024

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 5402/0.3500, 5415/0.4100 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. अरबाज खान पुत्र निसारखान हि0 2578/2940, शब्बीरखां पुत्र अलादीनखां हि0 362/2940 जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 5402/1 रकबा 0.1440 है0 , 5415/1 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2940 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

2. अयूबखां, इशाखखां, मजीदखां, सरदारखां पुत्रान अलादीन खां, मोबिनबानो पत्नी हनीफ खां हि0 बराबर जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 5402/2 रकबा 0.0850 है0 , 5415/2 रकबा 0.0960 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1810 है0 भूमि रहेगी।

3. शब्बीरखां पुत्र अलादीनखां हि0 2533/2850, जाविद खां पुत्र यासीनखां हि0 317/2850 जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 5402/3 रकबा 0.1250 है0 , 5415/3 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2850 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 15/3/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner